पशुओं का परिवहन (संशोधन) नियम, 2001

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

का.आ.269 (अ) – पशुओं का परिवहन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षनुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1164 (अ) तारीख 25 दिसंबर, 2000 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 27 दिसंबर, 2000 में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होनेकी संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जनवरी, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों की बावत, जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः अब केंद्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुओं का परिवहन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **पशुओं का परिवहन (संशोधन) नियम 2001** है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पशुओं का परिवहन नियम, 1978 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कहा गया है) अध्याय 6 के पश्चात् निम्निलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

अध्याय 7

रेल, सड़क और वायु द्वारा कुक्कुट का परिवहन

76. परिभाषाएं – इस अध्याय में जब तक कि, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, कुक्कुट में एक दिन के या पाताल मयूर जीवक शिशु, चिकन,बेटर,वृष, कुक्कुट,बतख, हंस और पाताल मयूर सम्मिलित हैं।

77. रेल, सड़क या वायु मार्ग द्वारा कुक्कुट के परिवहन में साधारण अपेक्षाएं–

(क) आधानों में कुक्कुट को रखने से पहले उन्हे उपयुक्त रूप से साफ और रोगाणू मुक्त किया जाएगा;

(ख) कुक्कुट को परिवहन के दौरान धूप, वर्षा और वायु मार्ग के सीधे झोंको में नहीं छोड़ा जाएगा;

(ग) कुक्कुट का परिवहन 25 से. से अधिक और 15 से. से कम तापमान पर नहीं किया जाएगा;

78. एक दिन के चूजे और पाताल मयूर जीवक शिशु – रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा एक दिन के चूजे और कुक्कुट के परिवहन में –

(क) चूजों और जीवक शिशु को अण्डों से निकलने के तुरंत पश्चात् पैक किया जाएगा और भोजा जाएगा उन्हें भेजने से पहले किसी भी समय की अवधि के लिए डिब्बों में भण्डार नहीं किया जाएगा।

टिप्पण : उक्त परिवहन में, परेषिती या उसके अभिकर्ता द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि परेषण गंतव्य स्थान तक, इन्क्यूबेटर से बाहर लाए जाने के पश्चात् कम से कम संभव समय के भीतर पहुँच जाएंगे। इन्क्यूबेटर से ब्रूडर तक ले जाने के लिए शीतकाल में बहत्तर घंटे और ग्रीष्म में अड़तालीस घंटे अधिकतम अवधि के रूप में सामान्यता माने जाएंगे;

(ख) चूजे या जीवक शिशुओं परिवहन के पहले पहले या दौरान दाना या पानी नहीं दिया जाएगा;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाएंगे कि चूजे और जीवक शिशु यथासंभव शीघ्र प्रेषक स्थल पर पहुँच जाएं;

(घ) परेषिती या उसके अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी परेषण धूप, वर्षा और गर्मी के सीधे संपर्क से दूर रहें;

(ङ) डिब्बों को ले जाने में सावधानी के लिए समतल पर रखे जाएंगे जिससे कि चूजों को पीठ के बल गिरने का खतरा न हो और अन्य पण्य वस्तुवों को चूजों के डिब्बों से ऊपर या चारों ओर रखने से बचाया जाएगा।

79. एक दिन के चूजों और पाताल मयूर जीवक शिशुओं से भिन्न कुक्कुट – एक दिन के चूजों और पाताल मयूर जीवक शिशु से भिन्न कुक्कुट का परिवहन में रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा –

(क) स्वस्थ और अच्छी स्थिति के कुक्कुट का परिवहन किया जाएगा और उनका परीक्षण अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और यह प्रमाणित किया जाएगा कि वे विसंक्रमणीय रोगों से मुक्त और यात्रा के लिए उपयुक्त है;

(ख) एक आधान में एक हीं प्रजाति और एक आयु वर्ग के कुक्कुट परिवहन किए जाएंगे;

(ग) परिवहन के लिए आधानों में रखने से पूर्व कुक्कुट को उचित रूप से दाना और पानी दिया जाएगा और अतिरिक्त दाना तथा पानी का भी समुचित रूप से आधान में लगी द्रोणिकाओं का प्रबंध किया जाएगा;

(घ) परिवहन के दौरान दाना और पानी देने का प्रबंध किया जाएगा और गर्मी के मौसम के दौरान प्रत्येक छः घंटे पर पानी देना सुनिश्चित किया जाएगा;

(ङ) एक ही आधान में मादा स्टॉक के साथ नर स्टॉक का परिवहन नहीं किया जाएगा।

80. सड़क मार्ग द्वारा यात्रा – जब कुक्कुट सड़क मार्ग द्वारा परिवहन में हो तो आधान एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जाएंगे और इस प्रकार उपयुक्त क्रम में अच्छादित किए जाएंगे कि प्रकाश, संवातन का प्रबंध हो और वर्षा, गर्मी और शीत वायु से सुरक्षित हो सके।

81. रेल मार्ग द्वारा यात्रा – कुक्कुट के रेल मार्ग द्वारा परिवहन में–

(क) बारह घंटे से अधिक की यात्रा के मामले में परेषण के साथ परिचारक होगा;

(ख) कुक्कुट वर्षा या सीधे हवा के झोंकों में नहीं रखे जाएंगे;

(ग) यथासंभव कुक्कुट संवातन संबंधी पर्याप्त सुविधाओं वाले वेगनों में परिवहन किए जाएंगे और ऐसी किसी अन्य पण्य वस्तु जिसके कारण पक्षियों की मृत्यु हो सकती है, को उसी वेगन में नही लादा जाएगा।

82. वायु मार्ग द्वारा यात्रा – जब कुक्कुट वायु मार्ग द्वारा परिवहन में हो तो अन्तरराष्ट्रीय परिवहन के लिए कुक्कुट वाहक आधान दबाव युक्त कक्षों में नियमित नियंत्रित तापमान पर रखे जाएंगे और आधान वरीयता में दरवाजों के सामने रखे जाएंगे और पहुँचने के तत्काल पश्चात् उतार लिए जाएंगे।

83. परिवहन के लिए आधान – सड़क, रेल या वायु मार्ग द्वारा कुक्कुट के परिवहन में –

(क) कुक्कुट के परिवहन में प्रयुक्त आधान ऐसी सामग्री से बने होंगे जो कि ढहने वाली या भंगुर न हो और अच्छे तरीके से संवातन और इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे कि कुक्कुट को पर्याप्त स्थान और सुरक्षा देकर उसके स्वास्थ की रक्षा कर सकें;

(ख) आधान को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि पक्षियों की भीड़ परिवहन के दौरान किनारों पर पक्षियों की संभावित भीड़ को बचाया जा सके और डिब्बों को खतरे से बचाने के लिए तापमान पर इस प्रकार रखा जाएगा जिससे कि संवातन हो सके;

(ग) सभी आधानों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगे होंगे जिस पर परेषिती या परेषण पर नाम, पता ओर टेलिफोन नंबर प्रदर्शित हो सके;

(घ) नीचे दी गई सारणी में, प्रत्येक पक्षी के लिए न्यूनतम तलक्षेत्र और कुक्कुट के परिवहन के लिए आधानों की विमाएं नीचे दी गई है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**कुक्कुट का प्रकार**	**न्यूनतम**	**दिशाएं**			
		तल क्षेत्र वर्ग से.मी.	**लंबाई**	**चौड़ाई**	**ऊँचाई संख्या**	**आधान में**
1.	एक मास के चिकिन	75	60	30	18	24
2.	तीन मास के चिकिन	230	55	50	35	12
3.	व्यस्क स्टॉक (हंस और पाताल मयूर के सिवाय)	480	115	50	45	12
4.	हंस और पाताल मयूर	900	120	75	75	10
		1300	75	35	75	2
		1900	55	35	75	1
5.	चूजे	.	60	45	12	80
6.		.	60	45	12	60

84. चूजों ओर जीवक शिशुओं के लिए आधानों की विशेष अपेक्षाएं – सड़क, रेल या वायु मार्ग द्वारा कुक्कुट के परिवहन में–

(क) आधानों के निचले भाग पर तार की जाली या किसी पदार्थ की जाली का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) आधानों में समुचित रूप से सुरक्षित किया जाएगा जिससे चूजे न निकल सकें;

(ग) निम्नलिखित अनुदेश लेबलों पर छापे जाएंगे और ढक्कन पर लगाए जाएंगे या सामने की ओर में छापे जाएंगे, अर्थात् – परिवहन में सावधानी;

(घ) प्रेषिति को रेल परिवहन या उड़ान संख्यांक और उसके पहुँचने के समय की अंतरिम सूचना दी जाएगी;

(ङ) कुक्कुट का छः घंटे से अनधिक लगातार परिवहन नहीं किया जाएगा और प्रत्येक छः घंटे के अन्तराल पर पूरे बैच का निरीक्षण किया जाएगा;

(च) परिवहन को तीस मिनट से अधिक के लिए खड़ा नहीं रखा जाएगा और इस अवधि के दौरान उसे छाया में खड़ा किया जाएगा और दाना और पानी का इंतजाम किया जाएगा;

(छ) आग के विरूद्ध सभी पूर्वावधानियां वरती जाएंगी और परिवहन में अग्निशामक की व्यवस्था का उपबंध किया जाएगा।

85. परिभाषा – इस अध्याय में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सूअरों में जंगली, सुअरों के शिशु और जंगली सूअरों के शिशु और सूअर परिवार के अन्य पशु सम्मिलित हैं।

86. यात्रा की अवधि – छः घंटों से अधिक रेल या सड़क की यात्रा में सूअरों के परिवहन को नियम 87 से 95 लागू होंगे।

87. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र – (1) किसी पशु चिकित्सक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि सूअर रेल या सड़क द्वारा यात्रा के लिए ठीक दशा में हैं और वे संक्रामक या परजीवी रोगों से ग्रस्त नहीं है प्रत्येक सूअर के रेल या सड़क परेषण के साथ होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र के अभाव में वाहक परिवहन के लिए परेषण स्वीकार करने से इंकार कर देगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र अनुसूची (ट) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा।

88. परेषिती और परेषक की पहचान – इस अध्याय के प्रयोजन के लिए –

(क) प्रत्येक परेषण पर एक लेबल होगा जिस पर परेषिती और परेषक का लाल अक्षरों में नाम, पता और टेलिफोन नंबर (यदि कोई हो) परिवहन किए जा रहे सूअरों की संख्या और उनकी किस्म और उन्हें दिए जाने वाली रसद की मात्रा और खाद्यन्न;

(ख) परेषिती रेल या वाहक जिस पर सूअरों का परेषण भेजा गया है और उसके पहुँचने का समय अग्रिम रूप से सूचित करेगा;

(ग) सूअरों के परेषण को अगली रेल या यान द्वारा बुक किया जाएगा और परेषण के बुकिंग स्वीकार करने के पश्चात् उसे रोका नहीं जाएगा।

89. प्राथमिक उपचार–रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में–

(क) सूअरों के साथ प्राथमिक उपचार उपस्कर होंगे;

(ख) सूअरों के लदाई और उतराई के लिए उपयुक्त रपटें उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ग) रेल वेगन के मामले में जहाँ लदाई या उताराई प्लेटफार्म पर की जा रही हो तो वेगन के नीचे खुलने वाले दरवाजे का रपटे के रूप में उपयोग किया जाएगा।

90. सूअरों का समूह – रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में – युवा नर पशुओं को उसी कंपार्टमेंट में मादा पशुओं के साथ नहीं मिलाया जाएगा

91. चारा और पानी की सुविधा – रेल या सड़क मार्ग द्वारा सुअरों के परिवहन में – यात्रा के दौरान अंत तक के लिए पर्याप्त खाद्यन्न और चारा ले जाया जाएगा और नियमित अन्तराल पर पानी की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

92. यात्रा के दौरान फर्श पर गद्दियों लगाना – रेल या सड़क मार्ग द्वारा सुअरों के परिवहन में – पशुओं को ले जाने के दौरान चोटों से बचाए रखने के लिए फर्श पर भूसा जैसे पदार्थों की गद्दियाँ होंगी और ये 5 से.मी. से कम मोटी नहीं होंगी।

93. बंड़ियों पर पाबंदी – रेल या सड़क मार्ग द्वारा सूअरों के परिवहन में पशुओं को बेड़ियाँ नहीं लगाई जाएंगी जब तक कि उनके बाहर कुद जाने का जोखिम न हो और उनके पैरों को बांधा नहीं जाएगा।

94. रेल मार्ग यात्रा के दौरान स्थान की अपेक्षा – रेल मार्ग सूअरों के परिवहन की दशा में

(क) नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट संख्याकों से अधिक में सूअर रेल वेगन में समायोजित नहीं की जाएगी।

सारणी

बड़ी लाइन (1)		मीटर लाइन (2)		छोटी लाइन (3)
वेगन का क्षेत्र	वेगन का क्षेत्र	वेगन का क्षेत्र	वेगन काक्षेत्र	
21.1 वर्ग मीटर से कम	21.1 वर्ग मीटर से अधिक	2.5 वर्ग मीटर से कम	12.5 वर्ग मीटर से अधिक	
सूअरों की संख्यांक	सूअरों की संख्या	सूअरों की संख्यांक	सूअरों की संख्या	अनुज्ञेय नहीं
35	50	25	30	

(ख)प्रत्येक वेगन में पर्याप्त सम्वातन की व्यवस्था की जाएगी और वेगन के एक ओर का उपरी दरवाजा खुला रखा जाएगा ओर समूचित रूप से फिक्स किया जाएगा तथा वेगन के उप्ररी दरवाजे पर निकटतः वेल्ड की गई पतली तार की जाली के व्यवस्था होगी ताकि इंजन से निकलने वाली आग की चिंगारियों को वेगन में प्रवेश करने और उनसे आग लग जाने की संभावना को रोका जा सके।

95. सड़क परिवहन के दौरान स्थान की अपेक्षा – सूअर सड़क द्वारा परिवहन में –

(क) 5 या 4.5 टल क्षमता के माल यान में, जिन्हें साधारणतया पशुओं के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है बीस सूअरों से अधिक नहीं ले जाए जाएंगे;

(ख) बड़े माल यान और आद्यानों के मामलों में, प्रत्येक दो या तीन मीटर चौड़ाई में सूअरों की भीड़ और बांधने से रोकने के लिए विभाजित किया जाएगा;

(ग) सूअर छः सप्ताह की उम्र के हैं की दशा में, पृथक पैनल की व्यवस्था की जाएगी।

अध्याय 9
प्रकीर्ण

96. परिवहन के पूर्व प्रमाणपत्र को जारी करना (1) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त और प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन द्वारा किसी पशु के किसी वयक्ति द्वारा परिवहन किए जाने से पूर्व के लिए वैध प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा उपापत किया जायेगा कि सभी सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य अधिनियम, नियम और अन्य आदेश के अधीन उक्त पशु के संबंध में परिवहन से सम्बन्धित नियमों का समुचित अनुपालन करता है, करेगा औश्र पशु किसी नियम के उपबंधी के विपरीत किसी प्रयोजन के लिए परिवहन नहीं किए जाएंगे;

(2) वाहक ऐसे प्रमाणपत्र के बिना परिवहन के लिए किसी प्रेषणको अस्वीकार कर देगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी किया जाएगा।

97. परिवहन के लिए अनुज्ञा या प्राधिकरण का रद्दकरण – (क) पशुओं के परिवहन के लिए इन नियमों में से किसी नियम के उल्लंघन या अननुपालन की दशा में, यदि वह लिखित में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कि सी अधिकारी या व्यक्तियों या पशु कल्याा संगठन द्वारा बताया जाता है तो ऐसे परिवहन के लिए जारी किसी अनुज्ञा या प्राधिकरण को संबंधित प्राधिकारी तत्काल रद्द कर देगा और पुलिस

का यह कर्तव्य होगा कि वह मध्यवर्ती स्टेशन पर आगे परिवहन को रोक दे और ऐसे अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही करे और पशु के साथ विधि के अनुकूल व्यवहार करे।

(2) रेल वैगन ट्रक या अन्य किसी यान से उतारने के तत्काल पश्चात् पशुओं की अभिरक्षा किसी प्राधिकृत पशु कल्याण संगठन को यदि उपलब्ध हो, तब तक दी जाएगी प्राधिकारी या अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट उनकी देखरेख और अनुरक्षण का विनिश्चय न कर दे।

98. परिवहन की शर्तें – (1) परिवहन किए जाने वाले पशुओं स्वस्थ और अच्छी दशा में होंगे और ऐसे पशुओं का परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा कि वे संक्रामक रोगों से मुक्त हैं ओर यात्रा के लिए उपयुक्त हैं परंतु यह तब जब कि उपयुक्ता की मात्रा विनिश्चत करने के लिए प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) जो पशु यात्रा के लिए अनुपयुक्त हैं उनका परिवहन नहीं किया जाएगा और जन्मे, बीमार, अन्ध, कृश, पंगु परिश्रांत या पिछले बहत्तर घंटे के दौरान जन्म देने की संभावना वाले किसी पशु का परिवहन नहीं किया जाएगा।

(3) गर्भवती और नवजात पशुओं को परिवहन के दौरान अन्य पशुओं के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(4) विभिन्न वर्गों के पशुओं को परिवहन के दौरान अलग रखा जाएगा।

(5) बीमार पशुओं को जब कभी उपचार के लिए उनका परिवहन किया जाएं, अन्य पशुओं के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(6) झगडागू पशुओं को परिवहन के लिए लदाई के पहले प्रशंतक दिए जाएंगे।

(7) पशुओं का परिवहन उनके आन–फार्म समाजिक समूहों में किया जाएगा (जो यात्रा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थापित किए जाएंगे)।

3. उक्त नियमों में अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :

अनुसूची ट

(नियम 87 (3) देखिए)

यात्रा के लिए सूअर का आरोग्यता प्रमाणपत्र प्रोफार्मा

(यह प्रमाणपत्र पशु चिकित्सक द्वारा पूर्ण और हस्ताक्षरित किया जाए।)

परीक्षा की तारीख और समय ______________________________

पशुओं की प्रजाति ______________________________

पशुओं की संख्या ______________________________

लिंग ____________________ आयु ____________________

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने, पशुओं का परिवहन नियम 1978 का अध्याय VIII के नियम 86 से 95 तक पढ़ लिए हैं।

1. (प्रेषिती) ____________________ के अनुरोध पर, मैंने उपरोक्त वर्णित पशुओं का उनके प्रस्थान से बारह घंटे से अनधिक में परीक्षण कर लिया है।
2. वे सभी रेल/सड़क/समुद्र द्वारा यात्रा के लिए ठीक दशा में प्रतीत होते हैं ओर किसी संक्रमक या संसर्ग या परजीवी बीमारी (बीमारियों) से ग्रसित होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है और किसी संक्रमक या संसर्ग बीमारी (बीमारियों) के विरूद्ध टीका लगाया गया है।
3. पशुओं को यात्रा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त चारा और पानी दिया गया है।

4. पशुओं को टीका लगाया गया है।

(क) वैक्सीन का प्रकार

(ख) टीका लगाने की तारीख

तारीख ____________________ हस्ताक्षर ____________________

पता ____________________

____

____

अर्हता ____________________

(फा.सं.19/1/2000-ए डब्ल्यू डी)

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली की अधिसूचना सं 18-6/70 एलडीआई तारीख 23.3.1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।